



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221563
CG-DL-E-04092020-221563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
प्रारंभिक जांच परिणाम
नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

मामला सं. एडीडी (ओआई) 34/2019

विषय : यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/43/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में यूरोपीय संघ (ईयू), सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट, (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयातों संबंधी पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. ओ आई 34/2019-डीजीटीआर के जरिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-
- क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों / क्षेत्रों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित तरीके और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।
- ङ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं :
- मै० सादरा केमिकल कंपनी
 - मै० बीएएसएफ एसई
 - मै० बीएएसएफ स्क्वारजाइड जीएमबीएच
 - मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्सचलैंड एजी, जर्मनी, ई यू
 - मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, ई यू
 - मै० नान या प्लोस्टिक्स, चीन ताइपेई
 - मै० पोलिकेम कंपनी, चीनी ताइपेई
- छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों / उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, ई यू
 - मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्सचलैंड एजी, जर्मनी, ई यू
 - मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि०
 - मै० सादरा केमिकल कंपनी, सउदी अरब
 - मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० (दुबई ब्रांच)

- vi. मै० डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी, नीदरलैंड
- vii. मै० डो केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं।
- i. मै० शीला फोम लि०
- ii. मै० तिरुपति फोम लि०
- iii. मै० कुरलोन लि०
- iv. मै० स्प्रिंगवेल मैट्रेसेज प्रा० लि०
- v. मै० सनराइज फोम प्रोडक्ट प्रा० लि०
- vi. मै० एम एच पोलिमर्स प्रा० लि०
- vii. मै० प्यारे लाल फोम (साउथ) प्रा० लि०
- viii. मै० जिंदल पेट्रो फोम प्रा० लि०
- ix. मै० अलाइड फोम प्रा० लि०
- x. मै० फैसी फोम प्रा० लि०
- xi. मै० हिन्दुस्तान पोलि फोम्स प्रा० लि०
- xii. मै० श्री मलानी फोम्स प्रा० लि०
- xiii. मै० प्राइम कम्फार्ट्स प्रोडक्ट प्रा० लि०
- xiv. मै० आदी पोलिमर्स प्रा० लि०
- xv. मै० स्प्रिंगफील पोलियूरेथीन्स फोम्स प्रा० लि०
- xvi. इंडियन पोलियूरेथीन एसोसिएशन
- झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- i. मै० कावेस्ट्रो (इंडिया) प्रा० लि०
- ii. मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि०
- iii. मै० वानहुआ इंटरनेशनल इंडिया प्रा० लि०
- iv. मै० शीला फोम लि०
- ञ. इसके अतिरिक्त, सउदी अरब किंगडम की सरकार ने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों के लिए समय सीमा बढ़ाई थी पहली समय सीमा 27 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई थी उसके बाद 10 अप्रैल, 2020 और तत्पश्चात अंतिम बार 21 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाई थी।
- ठ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के जरिए एक ई फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयात के सौदा वार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए और सौदों की आवश्यक जांच के पश्चात विश्लेषण हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ढ. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उसे बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी

कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ण. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना / आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है और प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।
- त. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 की जांच अवधि पर विचार किया गया है।
- थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- ध. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी आगे प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षात्कृत दस्तावेजों की जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।
- न. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।
- प. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 70.73 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :-

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट" (टीडीआई) है जिसमें आइसोमर्स की मात्रा 80:20 के अनुपात में होती है। टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट CH₃C₆H₃ (NCO)₂ फार्मूले सहित एक आर्गेनिक यौगिक है। यह संभव आइसोमर्स के दो आइसोमर्स व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएएस: 91-08-7) । 2,4 – टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, किंतु टीडीआई का प्रायः क्रमशः 2,4 और 2, 6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से संबंधित है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

इस उत्पाद को कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. विचाराधीन उत्पाद टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट या जिसे टी डी आई भी कहा जाता है जो सीएच₃सी₆एच₃ (एनसीओ)₂ के वाला एक आर्गेनिक यौगिक है। वर्तमान जांच 80:20 के अनुपात में आइसोमर मात्रा वाले टी डी आई तक सीमित है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग फ्लेक्सिबल पोलियूरेथीन फोम, गद्दों और तकियों और रजाइयों में होता है।

- iii. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क शीर्ष 2929 10 20 के अधीन आयातित किया गया है।
- iv. आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- 7. पी यू सी संबंधित मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है।
- 8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टी डी आई) है जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा (80:20) के अनुपात में आइसोमर मात्रा वाले टी डी आई तक सीमित हैं और सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग फ्लेक्सिबल पोलियूरेथीन फोम, गद्दों, तकियों, रजाइयों आदि में किया जाता है।
- 9. प्राधिकारी ने पी यू सी पर निम्नानुसार विचार किया है :

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट" (टीडीआई) है जिसमें आइसोमर्स की मात्रा 80:20 के अनुपात में होती है। टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) $CH_3C_6H_3(NCO)_2$ फार्मूले सहित एक आर्गेनिक यौगिक है। छह संभव आइसोमर्स के दो आइसोमर्स व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएएस: 91-08-7) । 2,4 – टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, किंतु टीडीआई का प्रायः क्रमशः 2,4 और 2, 6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से संबंधित है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

- 10. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- 11. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित पी यू सी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य, प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन है और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेलू रूप से बेचा गया उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह करते हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 12. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

 - i. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।
 - ii. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।
 - iii. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 13. घरेलू उद्योग के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

15. यह नोट किया जाता है कि आवेदन मै० गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लि० दायर किया गया है भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति की अपेक्षा को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध**ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

16. वर्तमान याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी यह देखा जाता है कि जनवरी, 2019 तक इस उत्पाद का कोई पाटन नहीं था। अतः जांच अवधि मार्च, 2019 से पहले शुरू नहीं हो सकती थी। जहां तक अक्टूबर-दिसंबर, 2019 की अवधि का संबंध है उसे इस कारण से नहीं जोड़ा जा सकता था कि याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई और उस अवधि के लिए वित्तीय परिणाम 11 फरवरी, 2020 को ही घोषित हुए थे। इस प्रकार आवेदक ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए सही अवधि का चयन किया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों ने यह माना है कि वार्षिकृत आंकड़ों का अर्थ है कि आवेदकों ने बाद की अवधि के लिए आंकड़ों को शामिल कर लिया है। आवेदकों ने बाद की अवधि के किसी भी आंकड़े को शामिल नहीं किया है। इसके विपरीत आवेदकों ने जांच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है और विभिन्न अवधि के पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना के लिए तुलना से पूर्व जांच अवधि के आंकड़ों को समान मंच पर लाना उचित समझा गया है। केवल इसी प्रयोजनार्थ आवेदकों ने जांच अवधि के आंकड़ों को वार्षिकृत किया है और बाद में पूर्ववर्ती वर्ष आंकड़ों के साथ उसकी तुलना की है।

18. जहां भी वार्षिकृत आधार पर आंकड़े 6 महीने के आंकड़ों से अलग हैं आवेदक ने आंकड़ों को वार्षिकृत किया है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में तथ्य यह है कि एक अवधि 12 महीने की है और दूसरी अवधि 6 महीने की होने का यह अर्थ नहीं है कि उस अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण अनुचित है। आंकड़ों के विश्लेषण के समय इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो अवधियों के आंकड़े समान समय के नहीं होती हैं और निष्कर्ष निकालते समय उन पर उचित ढंग से ध्यान देना चाहिए कि मापदंड में विकृति और सुधार हुआ है।

19. इस प्रकार इसका केवल यह अर्थ है कि विश्लेषण में दो अवधियों के विभिन्न समय के तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है। आवेदक ने सुविधा के लिए एक पद्धति अपनाई है इसमें आवेदक ने आंकड़ों को वार्षिकृत किया है और तत्पश्चात तुलना की है। यदि आंकड़ों को वार्षिकृत नहीं किया जाता और यथा रूप में लिया जाता तो भी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना के समय प्राधिकारी को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि दो अवधियों की लंबाई अलग-अलग है और इसलिए आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती है।

20. याचिकाकर्ता के पास जांच अवधि में कोई आबद्ध बिक्री नहीं है और उससे पहले भी वह बिल्कुल नगण्य थी। अतः आबद्ध बिक्री की मात्रा मूल्य और प्राप्ति संबंधी सूचना वर्तमान मामले में निष्कर्ष योग्य नहीं है।

21. याचिका के अगोपनीय अंश में प्रकट किए गए सामान्य मूल्य के ब्यौरे डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार पर्याप्त हैं। इसके अलावा, आवेदक ने विचाराधीन से संबंधित आर एंड टी खाते में किसी खर्च का दावा नहीं किया है और विचाराधीन उत्पाद की कोई खरीद नहीं की है। अतः सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि आवेदक ने वर्तमान मामले से संगत ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत की है।

22. जून, 2017 में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क केवल अंतरिम शुल्क था। जनवरी, 2018 में निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था। किसी भी तरह से चाहें जून, 2017 या जनवरी, 2018 को शुल्क के लिए संगत तारीख समझा जाए, याचिका में तर्क समान रहेगा।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. डीजीटीआर ने 6 महीने की जांच अवधि अपनाने का कोई औचित्य नहीं बताया है जिसे प्रचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका के अनुसार बताया जाना अपेक्षित है।
- ii. क्षति के अधिकांश कारकों की जांच करने के लिए आवेदक ने कोई औचित्य बताए बिना जांच अवधि के लिए वार्षिकृत आंकड़ों का प्रयोग किया है।
- iii. आवेदक ने याचिका में क्षति के विभिन्न कारकों की जांच में पी आई ओ तथा पी ओ आई- ए के बीच बदलाव किया है जिससे वस्तुनिष्ठ जांच नहीं हो सकती है और करार के अनुच्छेद 3.1 (iv) द्वारा यथा अपेक्षित विश्लेषण का पर्याप्त आधार नहीं है।
- iv. जांच 6 महीने की अवधि के साथ 12 महीने की अन्य अवधियों की तुलना में विसंगति है तो वस्तुनिष्ठ जांच करने के दायित्व का अनुपालन नहीं करती है।
- v. जांच अवधि के निर्धारण की असंगत पद्धति से डीजीटीआर करार के अनुच्छेद 5.3 के अनुपालन में याचिका की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करने में विफल रहे हैं।
- vi. आवेदक ने 6 महीने के लिए वास्तविक आयात दर्शाया है और कोई औचित्य बताए बिना वार्षिकृत जांच अवधि को 6 महीने की आयात मात्रा हेतु अपनाया है। इंडिया-आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेफगार्ड में अपील निकाय ने भारतीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना के लिए वार्षिकृत आंकड़ों को अपनाए जाने की पद्धति पर स्पष्टीकरण मांगा है।
- vii. सामान्य मूल्य, आबद्ध बिक्री मात्रा, आबद्ध बिक्री मूल्य, आबद्ध बिक्री प्राप्ति, आर एंड डी व्यय, जुटाई गई निधि, पी यू सी की खरीद मात्रा और एन आई पी गणनाओं को दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार नहीं दिया गया है और कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इससे करार के अनुच्छेद 5.2, 6.2, 6.5.1, और 6.8 का उल्लंघन होता है।
- viii. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और जापान से आयातों पर ए डी डी लगाने के बारे में गलत और भ्रामक सूचना दी है। ये शुल्क याचिका में बताए गए जनवरी, 2018 के बजाय 5 जून, 2017 से लगाए थे।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

24. 6 महीने की जांच अवधि के चयन पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 महीने की जांच अवधि अपनाया जाना नियमों से असंगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 महीने) को जांच अवधि (पी ओ आई) माने जाने की आवश्यकता को सत्य सिद्ध किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार किया। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले में 6 महीने की पी ओ आई उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात कीमतों में अप्रैल-सितंबर, 2019 में तेजी से गिरावट आयी थी। वर्तमान मामले में याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी और इसलिए जांच शुरूआत के समय सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।
25. पाटनरोधी जांच का प्रयोजन इस बात की जांच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन हुआ है और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में चयनित पी ओ आई जांच शुरूआत के समय विधिक स्थिति तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से संगत है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 9/2020-सीमा शुल्क द्वारा संशोधन किया गया है जिसमें नियम 2(घक) और नियम 22 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करके अंतः स्थापित किया गया है।

“जांच की अवधि होगी :-

- (i) जांच की शुरुआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पहले की नहीं होगी।
- (ii) 12 महीने की अवधि होगी और लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 महीने या अधिकतम 18 महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं”।

26. यह नोट किया गया है कि उक्त संशोधन वर्तमान जांच की शुरुआत के बाद किया गया है फिर भी आवेदक द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 महीने) के जांच की अवधि के रूप में चयन के लिए प्रदत्त औचित्य पर विधिवत रूप से विचार किया है।
27. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच के प्रयोजनार्थ आंकड़ों को वार्षिककृत किया है और जांच हेतु पी ओ आई तथा पी ओ आई – ए के बीच बदलाव किया है, यह देखा गया है कि आंकड़ों को वार्षिककृत एक वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के साथ समान स्तर पर उनकी तुलना के लिए किया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि आवेदक ने केवल उन्हीं मामलों में आंकड़ों को वार्षिककृत किया है जिनमें वार्षिककृत आधार 6 महीने से अलग हो सकता था। आवेदक द्वारा अपनाई गई पद्धति प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार है।
28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखता था।

i. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

ii. जहां तक सूचना की गोपनीयता संबंधी दलीलों का संबंध है। यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। आयातों, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन, मापदंडों और क्षति मापदंडों संबंधी सूचना को सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया। परिपाटी के अनुसार व्यापार संवेदनशील सूचना को गोपनीय रखा गया है।

29. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 5 जुन, 2017 को पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और अंतिम शुल्क 23 जनवरी, 2018 को लगाया गया था।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

30. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

- i. जर्मन और हंगरी से अन्य ई यू देशों को निर्यात ई यू में उत्पादकों के लिए घरेलू बिक्री कीमत दर्शाते हैं और इसलिए सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया जा सकता है।
- ii. डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि०, सादरा केमिकल कंपनी से संबद्ध एक कंपनी है जो सउदी अरब में टी डी आई की एक मात्र उत्पादक है। अतः वह कीमत जिस पर कंपनी ने निर्यात किया है प्रतिपूर्ति व्यवस्थाओं के जुड़े होने के कारण अविश्वसनीय है। इसलिए निर्यात कीमत को उस कीमत के अनुसार परिकलित किया जाए जिस पर भारत में इनका आयात हुआ है और भारत में उत्पाद की बिक्री के लिए पुनः बिक्री कीमत का प्रस्ताव किया गया है। सभी चार देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. सामान्य मूल्य के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. आवेदक ने सामान्य मूल्य परिकलन द्वारा निर्धारित किया है जिससे इसका कृत्रिम उच्च मूल्य हो गया है। यह तरीका करार के अनुच्छेद 5.2 से असंगत है।
- ii. आवेदक को तीसरे देश को सउदी के निर्यात का प्रयोग करके सामान्य मूल्य का दावा करना चाहिए था जैसा उसने यूरोपीय संघ के मामले में किया है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.4 संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

- i. मै० बोरोसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, यूरोपीय संघ
- ii. मै० कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी, जर्मनी, यूरोपीय संघ
- iii. मै० सादरा केमिकल कंपनी, सउदी अरब

च.4.1 यूरोपीय संघ**मै० कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी**

34. मै० कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी (“कावेस्ट्रो जर्मनी”) एक स्टॉक कारपोरेशन कंपनी है जो जर्मन कंपनी कानून पंजीकृत और स्थापित है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि कावेस्ट्रो जर्मनी ने घरेलू बाजार में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु बेची है और अपने संबंधित पक्षकारों अर्थात् कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली) और कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन) के जरिए भी इसे बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि कावेस्ट्रो जर्मनी ने अपनी संबंधित व्यापारिक कंपनी मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि० (“कावेस्ट्रो एच के”) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कावेस्ट्रो एच के ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं और एक संबंधित आयातक मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु बेची है जिसने बाद में भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री की है। कावेस्ट्रो जर्मनी, कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली), कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन), कावेस्ट्रो एच के और कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० ने विहित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रदान की है।

सामान्य मूल्य

35. मै० कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी (“कावेस्ट्रो जर्मनी”) ने पी ओ आई के दौरान घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत के ब्यौरे निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहक को और अपने संबंधित पक्षकार अर्थात् कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली) और कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन) के जरिए भी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। कावेस्ट्रो जर्मनी ने असंबंधित ग्राहकों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे संबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे और इन संबंधित पक्षकारों से स्वतंत्र ग्राहकों को पुनः बिक्री के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। उत्तर से यह नोट किया गया है कि पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने *** संबद्ध वस्तु असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपने संबंधित पक्षकारों को भी घरेलू बाजार में बेची हैं जिसका बीजक मूल्य *** यूरो है। कावेस्ट्रो जर्मनी द्वारा दावा की गई बिक्री लागत को विस्तृत सत्यापन के अधीन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। दावा की गई बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (ओसीटी) परीक्षण किया है जो दर्शाता है कि पी ओ आई के दौरान की गई 80 प्रतिशत घरेलू बिक्रियां लाभप्रद थीं। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।
36. कावेस्ट्रो जर्मनी ने माल भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सत्यापन के अधीन दावों के अनुसार समायोजन की अनंतिम रूप से अनुमति दी है और कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

37. पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने एक संबंधित व्यापारी अर्थात् मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि० (“कावेस्ट्रो एच के”) के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने कावेस्ट्रो एच के जरिए *** यूरो बीजक मूल्य पर भारत को *** एम टी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कावेस्ट्रो एच के ने असंबंधित भारतीय ग्राहकों और संबंधित आयातक मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु बेची है जिसने आगे भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री की है। प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को कावेस्ट्रो एच के की बिक्री कीमत की जांच की है और नोट करते हैं कि कावेस्ट्रो एच के की बिक्री कीमत कावेस्ट्रो एच के द्वारा किए गए समस्त व्यय को कवर करती हैं। मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को किए गए निर्यातों के लिए प्राधिकारी ने उस कीमत पर जिस पर आयातित संबद्ध वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को पहली बार पुनः बेचा गया था, पर आधारित निर्यात कीमत की अनंतिम रूप से जांच की है। संबंधित भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उसे पी ओ आई के दौरान आयातित संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री पर पर्याप्त राशि में लाभ अर्जित हुआ है।

38. कावेस्ट्रो जर्मनी ने माल भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया और सत्यापन के अधीन प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा निर्यात को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

बोरसोडकेम जेडआरटी

39. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी शेयरों द्वारा सीमित एक प्रा० लि० कंपनी है। यह हंगरी के कानून के तहत स्थापित एक सीमित दायित्व कंपनी है। कंपनी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपनी सहायक कंपनी मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल, इटली के जरिए भी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसने आगे संबद्ध वस्तु को भारत में असंबंधित ग्राहकों को पुनः बेचा है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, मै० वानहुआ केम इटैलिया एसआरएल, मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० ने विहित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रदान की है।

सामान्य मूल्य

40. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों और बिक्री लागत प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपनी सहायक कंपनियों मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल, इटली के जरिए भी संबद्ध वस्तु बेची है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने असंबंधित ग्राहकों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे, अपने संबंधित पक्षकार को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे और स्वतंत्र ग्राहकों को संबंधित पक्षकार की पुनः बिक्री कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी द्वारा दावा की गई बिक्री लागत सत्यापन के अधीन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार की गई है। दावा की गई बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (ओसीटी) परीक्षण किया है जिससे पता चलता है कि पी ओ आई के दौरान की गई 80 प्रतिशत घरेलू बिक्रियां लाभप्रद थीं। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे तथा अपनी सहायक कंपनी मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल के जरिए भी घरेलू बाजार में *** यूरो प्रति एम टी की औसत बीजक कीमत पर *** एम टी संबद्ध वस्तु को बेचा है।
41. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और अन्य संबंधित व्ययों पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावे के अनुसार समायोजनों की अनंतिम रूप से अनुमति दी है और कारखानाद्वारा स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वारा सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

42. पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसने आगे भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री की है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी और मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० ने अपेक्षित प्रपत्र में संगत सूचना प्रदान की है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने अपने भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को *** यूरो प्रति एम टी की औसत बीजक कीमत पर *** एम टी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।
43. संबंधित भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से नोट किया जाता है कि उसे जांच अवधि के दौरान आयातित संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री पर पर्याप्त लाभ हुआ है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत और पैकिंग खर्च के लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी गई है। यथा निर्धारित कारखानाद्वारा निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई हैं।

ई यू में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

44. यूरोपीय संघ के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ई यू में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

45. सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजनों की अनुमति देने के बाद उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सउदी अरब

46. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में सउदी अरब से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है।
- क. मै० सादरा केमिकल कंपनी, किंगडम ऑफ सउदी अरब (उत्पादक),
 - ख. मै० डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी (निर्यातक)
 - ग. मै० डो केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा० लि० (निर्यातक)
 - घ. मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० – दुबई ब्रांच (निर्यातक)
47. सादरा और डो ट्रेडिंग कंपनियों के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के संबंधित आयातक मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० ('डीसीआईपीएल') ने भी आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
48. तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया है।

सादरा केमिकल कंपनी ('सादरा'), डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी ('डो मोर्केटिंग'), डो केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा० लि० ('डो सिंगापुर'), डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० – दुबई ब्रांच ('डीसीआईपीएल') - दुबई ब्रांच)

49. यह नोट किया जाता है कि सादरा, सउदी अरब से संबद्ध वस्तु का उत्पादक है जो संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों तथा संबंधित कंपनियों अर्थात् डो मोर्केटिंग, डो सिंगापुर और डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच के जरिए भारत को निर्यात में शामिल किया है। सादरा एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है जो किंगडम ऑफ सउदी अरब के कानून के तहत विद्यमान है जिसकी वाणिज्यिक पंजीकृत संख्या (***) है। इस कंपनी का मुख्यालय जुबैल में स्टन प्रोविंस, किंगडम ऑफ सउदी अरब में स्थित है।

सामान्य मूल्य

50. सादरा द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पहले डो मोर्केटिंग को बेची जाती है और डो मार्केटिंग, डो सिंगापुर और डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच को संबद्ध वस्तु के बीजक बनाता है। डो सिंगापुर संबद्ध वस्तु का व्यापारी है और उन्होंने डीसीआईपीएल को (भारत में संबंधित कंपनी) को तथा असंबंधित कंपनियों तथा आयातकों को सीधे संबद्ध वस्तु को बेचा है। डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच ने संबद्ध वस्तु को सीधे असंबंधित भारतीय आयातकों को बेचना है।
51. सादरा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर नोट किया गया है कि उनकी घरेलू बिक्रियां घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हैं। मै० सादरा द्वारा दावा की गई बिक्री लागत को सत्यापन के अधीन प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। दावा की गई बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ वाली घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित करने के लिए व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जांच करने पर प्राधिकारी ने नोट किया कि पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की सभी बिक्रियां घाटे में थीं। अतः प्राधिकारी ने उत्पादन लागत, बिक्री व्यय और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है तथा वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

52. भारत को निर्यातकों से यह नोट किया गया है कि मै० सादरा संबद्ध वस्तु की संपूर्ण मात्रा को डो मार्केटिंग को बेचती है। भारत को निर्यातों के लिए डो मार्केटिंग असंबंधित और संबंधित भारतीय आयातकों को पुनः बिक्री के लिए डो सिंगापुर पर बीजक बनाती हैं। इसी प्रकार डो मार्केटिंग ने डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच के जरिए असंबंधित आयातकों को संबद्ध वस्तु बेची है। समग्र आधार पर असंबंधित आयातकों को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची गई है और डीसीआईपीएल (संबंधित आयातक) को *** एम टी संबद्ध वस्तु निर्यात की गई है। इन सभी संबंधित पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
53. पी ओ आई के दौरान डो सिंगापुर ने डीसीआईपीएल (भारतीय आयातक) को *** एम टी संबद्ध वस्तु और असंबंधित आयातक को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची है। डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच ने असंबंधित भारतीय आयातक को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची है।
54. ऊपर उल्लिखित सहायक कंपनियों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया गया है कि उन्होंने अपनी मूल कंपनी अर्थात् सादरा से ऊपर यथा उल्लिखित विभिन्न व्यापार श्रृंखलाओं के जरिए आयातित संबद्ध वस्तु के बिक्री के दौरान घाटा उठाया है। चूंकि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत खरीद कीमत से कम है जिसमें आयात कीमतें और सहायक कंपनी के एस जी ए शामिल हैं। इसलिए उनकी पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत में उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए प्राधिकारी ने माल भाड़ा, ऋण लागत और उत्पादक (सादरा) की बीजक कीमत से अन्य कारखाना पर्याप्त व्ययों के लिए समायोजनों पर विचार किया है। तदनुसार, कारखानाद्वारा निर्यात कीमत परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सउदी अरब में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

55. सउदी अरब से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सउदी अरब में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

56. सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजनों की अनुमति देने के बाद उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीनी ताइपेई**चीनी ताइपेई में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

57. चीनी ताइपेई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीनी ताइपेई में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव के मद्देनजर चीनी ताइपेई के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम अनुमानों को एस जी ए तथा लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उनके अनुसार चीनी ताइपेई के उत्पादकों हेतु उत्पादन लागत परिकलित करके अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीनी ताइपेई में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

58. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजन के पश्चात उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

यू ए ई**यू ए ई में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

59. यू ए ई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। यू ए ई में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव के मद्देनजर यू ए ई के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम अनुमानों को एस जी ए तथा लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उनके अनुसार यू ए ई के उत्पादकों हेतु उत्पादन लागत परिकलित करके अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यू ए ई में सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

60. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजन के पश्चात उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.6. पाटन मार्जिन

61. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु हेतु पाटन मार्जिन अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

पाटन मार्जिन

क्र. सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यू एस डॉलर/एम टी)	निर्यात कीमत (यू एस डॉलर/एम टी)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर/एम टी)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
क	यूरोपीय संघ					
1	बोरसोडकेमजेडआरटी	***	***	***	***	0-10
2	कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी	***	***	***	***	10-20
3	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
ख	सउदी अरब					
1	सादरा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
ग	चीनी ताइपेई					
1	सभी उत्पादकों/निर्यातकों	***	***	***	***	10-20
घ	संयुक्त अरब अमीरात					
1	सभी उत्पादकों/निर्यातकों	***	***	***	***	20-30

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- चूंकि अनुबध-II (iii) की शर्तें पूरी होती हैं। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों का संचयी आकलन करने पर विचार कर सकते हैं।
- संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से तथा सकल आयात, उत्पादन और क्षति अवधि में खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में जांच अवधि में तेजी से गिरावट आई है।
- संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। सउदी अरब के मामले में कीमत कटौती को कीमत समायोजन पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित भारतीय आयातक ने संबंधित सउदी निर्यातक से उच्च कीमत पर आयात किया है और असंबंधित स्वतंत्र क्रेता को बिक्री के समय उसे वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है।

- v. संबद्ध वस्तु की कीमत में गिरावट से घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट हुई है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।
- vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।
- vii. यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कम होने के कारण निर्यात करना पड़ा है।
- viii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। उद्योग ने 2017-18 में काफी लाभ कमाया था उसके बाद लाभ इतने कम हो गए कि घरेलू उद्योग को अब जांच अवधि में घाटा हुआ है।
- ix. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जांच अवधि में ऋणात्मक हो गए हैं।
- x. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अब भी उस स्तर से कम है, जो हासिल हो सकता था। संबद्ध देशों से पाटन के कारण उसका बाजार हिस्सा नहीं बढ़ा है।
- xi. घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में जांच अवधि में भारी वृद्धि हुई है।
- xii. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान 300 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है।
- xiii. संबद्ध देशों में भारी क्षमताएं मौजूद हैं।
- xiv. संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है और इससे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है।
- xv. संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट टोल्यूइन की कीमतों की गिरावट से अधिक है।
- xvi. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में पाटनरोधी शुल्क लगने पर 2016-17 और 2018-19 के बीच वृद्धि हुई है। तथापि, जांच अवधि में देश में पाटन के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में एक बार फिर गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में जबकि घरेलू उद्योग की माल सूची बढ़ रही और बिक्री मात्रा घट रही है। यह संभावित तथ्य कि याचिकाकर्ता के निर्यात मात्रा में गिरावट आई है, कोई परिणाम नहीं देता है। किसी भी तरह से याचिकाकर्ता की निर्यात मात्रा इस अवधि में बढ़ी है। वास्तव में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निर्यात मात्रा में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि घरेलू बिक्री 7 प्रतिशत तक घट गई है। चूंकि घरेलू उद्योग के निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसलिए यह दलील देना बिल्कुल निराधार है कि माल सूची में वृद्धि के कारण निर्यातों में गिरावट हुई है।
- xvii. यह तथ्य कि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु संबंधी पूर्ववर्ती किसी भी जांच परिणाम में समय से पिछड़ने पर समायोजन की अनुमति नहीं दी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क में कोई आधार नहीं है। जहां तक आयातक की पिछड़ी स्थिति का संबंध है। आयातक को यह दलील देनी चाहिए और न कि निर्यातक को कोई तर्क करना चाहिए। इसी के साथ यह इस संभावित तथ्य की ओर संकेत करता है कि आयातित उत्पाद को घाटे में बेचा गया है। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता प्राधिकारी से वर्तमान मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ परिकलित निर्यात कीमत अपनाने का आग्रह करता है। वह कीमत जिस पर सामग्री बेची गई है। इस तथ्य के कारण अविश्वसनीय हो जाती है कि संबंधित आयातक ने उत्पाद को घाटे में पुनः बेचा है। ये कीमतें अब व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

63. क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. प्रपत्र IV-I वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में ऐसे देशों जिन पर शुल्क लागू है, से आयातों में बिल्कुल मामूली कमी दर्शाता है। अतः घरेलू उद्योग का यह दावा कि वह वर्ष 2017-18 के दौरान संबद्ध देश से आयातों के कारण अपनी बिक्री में वृद्धि नहीं कर सकता, सही नहीं लगता है।

- ii. लागू पाटनरोधी शुल्क जिससे कीमतों में वृद्धि हो गई, के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्रियां उन आयातों के बाजार हिस्से का स्थान लेने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ सकी थीं।
- iii. सउदी अरब में एक मात्र उत्पादक ने 2017 में उत्पादन शुरू किया और इसलिए सउदी अरब से मात्रा में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होगी और इसलिए 2016-17 या 2017-18 के साथ आयातों की तुलना उचित नहीं है।
- iv. भारत में आयात कीमतों में सभी स्रोतों से गिरावट आई है और केवल संबद्ध देशों से नहीं। याचिकाकर्ता को सभी अन्य देशों की तरह वैश्विक रूप से घटती हुई कीमतों के साथ अपनी कीमतें समायोजित करनी चाहिए। इसके अलावा, अन्य देशों से आयातों की कीमतें सउदी अरब से आयात की कीमतों से कम हैं।
- v. दावा किए गए कीमत ह्रास के विपरीत संबद्ध वस्तु की कीमतों में विश्व भर में जबरदस्त गिरावट आई है, जो क्षति का मूल कारण है।
- vi. याचिकाकर्ता वर्ष 2017-18 जब संबद्ध वस्तु की कीमतें वैश्विक स्तर पर उच्चतम थीं, में भारी लाभ कमा रहा था और जब वैश्विक रूप से कीमतों में गिरावट आई तो याचिकाकर्ता को घाटा हुआ। इससे याचिकाकर्ता के घाटे और लक्षित देशों की कीमतों के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव भी प्रदर्शित होता है।
- vii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु संबंधी किसी भी पूर्ववर्ती जांच परिणाम में समय से पीछे रहने पर समायोजन की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा, टाइमलैग आयातक को पिछड़ी स्थिति में पहुंचा देता है, जब लागत में कमी के कारण आवेदकों ने कीमतों की कमी की।
- viii. याचिकाकर्ता के दावों के विपरीत उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि निर्यातों में 12 प्रतिशत तक गिरावट आई है। माल सूची में 544 प्रतिशत तक की वृद्धि भी निर्यातों में गिरावट के कारण है और न कि आयातों में वृद्धि के कारण।
- ix. याचिकाकर्ता के घाटे, संबद्ध वस्तु को टोल्यूइन की वैश्विक कीमतों के कारण हुए हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने परिवर्तन पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी थी
- x. उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। यह दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है कि पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएं थीं।
- xi. याचिकाकर्ता के पास सर्वाधिक बाजार हिस्सा था जो पूरी अवधि के दौरान बढ़ा है। यह हिस्सा संबद्ध देश के आयातों की तुलना में दुगने से अधिक है।
- xii. अन्य ज्ञात कारक जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जैसे संबद्ध वस्तु के वैश्विक बाजार का व्यवहार संबद्ध वस्तु के वैश्विक कीमतों में गिरावट, संबद्ध देशों से इतर स्रोतों से आयात, आवेदक का व्यवहार और संबद्ध वस्तु संबंधी वैश्विक घटनाक्रम की परप्रतिक्रिया और रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता संबंधी भारतीय कानून का प्रभाव।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानून पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। यहां पर प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

संचयी आकलन

65. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :
 - (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक)

हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :-

क. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देश से भारत में पाटन किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा से 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित समान वस्तु भी हैं।

67. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी, यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमरीत से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी आंकलन करना उचित समझते हैं।

68. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

छ.4.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

69. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदक के भारत में एक मात्र उत्पाद होने से उसकी घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एम टी	***	***	***	***	***
2	संबद्ध देश- आयात	एम टी	49	1,190	7,235	8,248	16,496
3	देश जिन पर एडीडी लागू है-आयात	एम टी	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
4	अन्य देश- आयात	एम टी	288	1,473	1,346	333	665
5	कुल मांग/खपत	एम टी	***	***	***	***	***

70. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।
71. आवेदक की घरेलू बिक्रियों में तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

72. पाटित आयातों के मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	संबद्ध देशों से आयात	एम टी	49	1,190	7,235	8,248	16,496
a	सउदी अरब	एम टी	-	240	2,660	2,348	4,696
b	यू ए ई	एम टी	9	860	3,168	2,460	4,920
c	यूरोपीय संघ	एम टी	-	90	685	1,680	3,360
d	चीन ताइपेई	एम टी	40	-	722	1,760	3,520
2	उन देशों से आयात जिन पर एडीडी लागू है	एम टी	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
3	अन्य देशों से आयात	एम टी	288	1,473	1,346	333	665
4	कुल आयात	एम टी	32,905	33,147	32,619	15,442	30,883
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों के आयात							
5	कुल आयात	%	0.15%	3.59%	22.18%	53.41%	53.41%
6	उत्पादन	%	0.10%	2.00%	11.82%	22.32%	22.32%
7	मांग	%	0.08%	1.77%	9.84%	23.90%	23.90%

73. यह देखा गया है कि :

- संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष की वृद्धि की तुलना में जांच अवधि के दौरान निरंतर और पर्याप्त रूप से अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देशों से आयात में भारत में कुल आयातों, भारत में मांग और भारत में उत्पादन की दृष्टि से क्षति अवधि में निरंतर और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

छ.5.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

74. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के माध्यम से की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

75. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
समग्र रूप से संबद्ध देश						
पहुंच मूल्य	रू./एमटी	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	131	76	76
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	(118)	(8)	(8)
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
सउदी अरब						
पहुंच मूल्य	रू./एमटी	-	2,94,889	2,28,515	1,54,893	1,54,893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	77	53	53
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	131	132	132
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	-	(0-10)%	(5-15)%	(10-20)%	(10-20)%
यू ए ई						
पहुंच मूल्य	रू./एमटी	2,15,495	2,54,276	2,33,833	1,28,473	1,28,473
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	109	60	60
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(122)	145	(20)	(20)
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
यूरोपीय संघ						
पहुंच मूल्य	रू./एमटी	0	2,20,780	2,50,611	1,11,096	1,11,096
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	114	50	50
कीमत कटौती	रू./एमटी	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	(78)	37	37
कीमत कटौती	%	-	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	-	20-30%	(10-20)%	15-25%	15-25%
चीनी ताइपेई						
पहुंच मूल्य	रू./एमटी	1,66,934	-	2,00,408	1,35,108	1,35,108
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	120	81	81
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	19	(10)	(10)
कीमत कटौती	%	***	-	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%	-	0-10%	(0-10)%	(0-10)%

76. संबद्ध देशों से आयात में कीमतों में तेजी से गिरावट के साथ जांच अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पहुंच कीमत में गिरावट के साथ अपनी कीमतों को कम करना पड़ा है। यद्यपि पी ओ आई के दौरान औसत आधार पर कीमत कटौती थोड़ी नकारात्मक रही है। यह देखा गया है कि कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह दलील भी दी है कि सउदी अरब के मामले में भारत में एक संबद्ध पक्षकार की खरीद से आयात कीमतें अनावश्यक रूप से अधिक रही हैं और इसलिए सउदी उत्पादक/निर्यातक के लिए कीमत को परिकलित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे की जांच की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस तथ्य के कारण सउदी अरब से कीमत कटौती ऋणात्मक है कि सउदी अरब से निर्यातक भारत को संबद्ध वस्तु उच्च कीमत पर निर्यातक करते हैं और उनका संबंधित पक्षकार भारत में स्वतंत्र क्रेता को घाटे पर संबद्ध वस्तु की पुनः बिक्री करता है। अतः डीजीसीआई एंड एस आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में सउदी अरब के निर्यातकों की वास्तविक प्रचलित कीमत नहीं दर्शाती है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में काफी बढ़ गई होती। क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	101	89	89
2	बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
3	समग्र रूप से संबद्ध देशों का पहुंच मूल्य	रू./एमटी	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	131	76	76

78. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत यद्यपि जांच अवधि से पहले की अवधि में बिक्री लागत से अधिक रही है। तथापि, जांच अवधि में यह बिक्री लागत से कम हो गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2016-17 की तुलना में पी आई ओ के दौरान गिरावट आई है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में कमी से अधिक है, क्योंकि घरेलू उद्योग को आयातों की पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी से अधिक कटौती के कारण अपनी कीमतें घटाने पर मजबूर होना पड़ा था। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी कर रहे थे।

ग. कम कीमत पर बिक्री

79. जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर यथा निर्धारित घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) की तुलना कम कीमत पर बिक्री की मात्रा जानने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम था। जैसा कि सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाने वाली निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	सउदी अरब	यू ए ई	ई यू	चीनी ताइपेई
1	क्षतिरहित कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
2	पहुंच मूल्य	रू./एमटी	1,54,893	1,28,473	1,11,096	1,35,108
3	कम कीमत पर बिक्री	रू./एमटी	***	***	***	***
4	कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
5	कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-10%	30-40%	50-60%	20-30%

छ.6.3. घरेलू उद्योग के लिए आर्थिक मापदंड

80. नियमावली के अनुलग्नक- II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोध में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

81. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	क्षमता	एम टी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
2	उत्पादन	एम टी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	131	158	158
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	131	158	158
4	घरेलू बिक्रियां	एम टी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	153	142	142
5	निर्यात बिक्रियां	एम टी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	88	75	149

82. यह देखा गया है कि :-

- क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, सतत और भारत में मांग से अधिक रही है।
- ख. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, भारत में मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता थी।
- ग. उद्योग के घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

83. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिककृत
1	घरेलू उद्योग	%	44.85%	50.81%	55.65%	55.25%	55.25%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	124	123	123
2	संबद्ध देश- आयात	%	0.08%	1.76%	9.83%	23.89%	23.89%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2150	11978	29105	29105
3	देश जिन पर एडीडी लागू है- आयात	%	54.57%	45.23%	32.67%	19.88%	19.88%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	60	36	36
4	अन्य देश- आयात	%	0.48%	2.18%	1.82%	0.96%	0.96%
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	380	200	200
5	कुल	%	100	100	100	100	100

84. यह देखा गया है कि 2017 में चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई। संबद्ध देशों से बड़े हुए आयातों के कारण पी ओ आई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है। दूसरी ओर मांग में संबद्ध देशों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जो 2016-17 में 0 प्रतिशत से पी ओ आई के दौरान 24 प्रतिशत हो गया।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

85. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिककृत
1	विक्रियों की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	101	89	89
2	विक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
3	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	371	121	(24)	(24)
4	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	लाख रु. में	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	474	185	(34)	(34)
5	नकद लाभ	लाख रु. में	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	420	184	(7)	(7)
6	ब्याज पूर्व लाभ	लाख रु. में	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	323	119	(22)	(22)
7	नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	278	87	(20)	(20)

86. यह देखा गया है कि :

- क. अन्य देशों के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में वृद्धि हुई है।
- ख. बाद के वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों में तेजी से वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के बावजूद कीमतों में तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई।
- ग. जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हो गई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर बिक्री करनी पड़ी, जिससे उसकी लागत ही नहीं निकल पाई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। नतीजतन घरेलू उद्योग को नकद घाटे हुए और निवेश पर ऋणात्मक आय हुई।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

87. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	102	101	101
2	मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	159	155	155
3	प्रति इकाई मजदूरी	रु./एमटी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	121	98	98
4	उत्पादकता	एम टी/ दिन	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	131	158	158

88. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और वेतन तथा मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में पी ओ आई में मामूली गिरावट आई। पी ओ आई के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में भी सुधार हुआ है।

ड. माल सूची

89. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
						वास्तविक	वार्षिकृत
1	प्रारंभिक स्टॉक	एम टी	***	***	***	***	***
2	समापन स्टॉक	एम टी	***	***	***	***	***
3	औसत माल सूची	एम टी	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	309	544	544

90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु वह बाजार में बिक्री कम करने में सक्षम नहीं रहा है।

च. वृद्धि

91. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिककृत
1	उत्पादन	वाई/वाई	27%	3%	21%	21%
2	क्षमता उपयोग	वाई/वाई	27%	3%	21%	21%
3	घरेलू बिक्री मात्रा	वाई/वाई	28%	20%	-7%	-7%
4	प्रति इकाई लाभ/(हानि)	वाई/वाई	271%	-67%	-120%	-120%
5	औसत माल सूची	वाई/वाई	10%	181%	76%	76%
6	बाजार अंश	वाई/वाई	13%	10%	-1%	-1%
7	पूर्व कर लाभ/(हानि)	वाई/वाई	374%	-61%	-118%	-118%
8	नकद लाभ	वाई/वाई	320%	-56%	-104%	-104%
9	पीबीआईटी	वाई/वाई	223%	-63%	-118%	-118%
10	आरओआई	वाई/वाई	178%	-69%	-123%	-123%

92. यह देखा जाता है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही थी। यद्यपि जबकि घरेलू बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय पी ओ आई में प्रतिकूल और / या ऋणात्मक रहे थे।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. घरेलू उद्योग जांच अवधि में वित्तीय घाटा उठा रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग के प्रचालन पर प्रभाव पड़ा है जिससे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है। तथापि यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग एक बहुउत्पाद कंपनी है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता केवल संबंधित उत्पाद के कार्य निष्पादन के आधार पर शासित नहीं होती।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है। तीसरे देशों जिन पर एडीडी लागू नहीं है, से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा नगण्य है और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रही है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग देश में पर्याप्त है और घरेलू उद्योग के पास देश में मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और यह घरेलू उद्योग के क्षति का कारण नहीं हो सकता है। इसके मद्देनजर अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

95. इस दावे के संबंध में कि अन्य देशों से आयातों में केवल बहुत मामूली गिरावट आई है और शुल्क लागू होने के बाद घरेलू बिक्री में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि पाटन की अनुचित प्रथा को सुधारना है और कीमतों को उचित स्तर तक लाना है। तथापि, यह देखा गया है कि देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से आयातों में समग्र रूप से तथा

उत्पादन और खपत की दृष्टि से ए डी डी लागू होने के बाद तेजी से गिरावट आई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में चीन, कोरिया गणराज्य और जापान पर 2017 में शुल्क लागू होने के बाद से वृद्धि हुई है और उनमें संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के साथ केवल जांच अवधि में गिरावट आई है।

96. यह दावा किया गया है कि सउदी अरब से आयात में वृद्धि इसलिए हुई है, क्योंकि उत्पादक ने 2017 में उत्पादन शुरू किया है। यह नोट किया गया है कि सउदी अरब से आयात पी ओ आई में नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अंतर्गत यथा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक रहे हैं। अतः आयातों के प्रभाव का प्राधिकारी द्वारा संचयी आकलन किया जाएगा।
97. यह भी देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत लागू ए डी डी, जहां प्रयोज्य हो, को जोड़ने के बाद अन्य देशों से आयातों से पहुंच कीमत से काफी कम है। अतः हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि भारत में आयात कीमत सभी स्रोतों से घट गई है और केवल संबद्ध देशों से नहीं, वास्तव में गलत है। इसके अलावा, जहां तक केवल सउदी अरब की कीमतों का संबंध है सउदी अरब की पहुंच कीमत ए डी डी वाले अन्य देशों की कीमत से कम है। यदि सउदी अरब की संबद्ध कंपनियों और भारत के जरिए उच्च कीमतों को पर्याप्त रूप से समायोजित किया जाए।
98. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग पहले लाभ कमा रहा था और अब घाटा उठा रहा है, यह कारणात्मक संबंध का अभाव दर्शाता है। यह नोट किया गया है कि जांच अवधि में आयात कीमतों में वस्तुतः गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो गई हैं। घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ कमा रहा था और कीमत ह्रास के कारण घाटे में चला गया है।
99. टाइमलैग के कारण समायोजन के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने संगत प्रक्रिया के मामले के रूप में आयात कीमतों में ऐसे टाइमलैग के लिए किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी है।
100. इस दावे के विरुद्ध कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और निर्यातों में गिरावट आई है जिससे माल सूची में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है और जांच अवधि में अलाभकारी कीमतों में निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है।
101. इस दावे के संबंध में कि आवेदक के घाटे के लिए संबद्ध वस्तु की वैश्विक कीमतें जिम्मेदार हैं। यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटानी पड़ी हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों के कारण कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ अपनी कीमतों का पर्याप्त रूप से तालमेल नहीं बना पा रहा है जिसके कारण घाटा हुआ है। अतः दावा की गई क्षति के लिए भारत में संबद्ध देशों से आयात जिम्मेदार है।
102. इस दावे के संबंध में कि आवेदक के पास सर्वाधिक बाजार हिस्सा है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में केवल 9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों के आयातों के हिस्से में 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में 1253 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग के पास भारत में संबद्ध वस्तु की 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने की क्षमता है, परंतु उसके पास इस समय केवल 55 प्रतिशत हिस्सा है और अप्रयुक्त क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा है।

झ. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

103. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी जांच अवधि के लिए उत्पादन लगात से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एन आई पी ज्ञात की गई है और उसकी तुलना क्षति मार्जिन (आई एम) की गणना के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत (एल पी) के साथ की गई है। पाटन मार्जिन के निर्धारण के अनुक्रम में क्षति मार्जिन को भी संबंधित कंपनियों को एक कंपनी मानकर निर्धारित किया गया है।

104. इस जांच परिणाम में पाटन मार्जिन विश्लेषण में यथा उल्लिखित सउदी अरब से उत्पादक और भारतीय सहायक कंपनी सहित उसकी संबंधित कंपनियों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया गया है कि विभिन्न व्यापार शृंखलाओं के माध्यम से अपनी मूल कंपनी से आयातित संबंधित वस्तु की बिक्री के दौरान उन्हें घाटा हुआ है। चूंकि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत जिसमें आयात कीमत और भारतीय सहायक कंपनी के एस जी ए शामिल थे, से कम है। इसलिए उनकी पहुंच कीमत के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

क्र. सं.	देश	उत्पाद	एन आई पी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
			(यू एस डॉलर/ एम टी)	(यू एस डॉलर/ एम टी)	(यू एस डॉलर/ एम टी)	(%)	(रेंज)
1	यूरोपीय संघ	मै० बोरसोडकेमजेडआरटी	***	***	***	***	30-40
		मै० कावेस्ट्रो ड्यूटस्चलैंड एजी	***	***	***	***	30-40
		सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	30-40
2	सउदी अरब	मै० सादरा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	20-30
		सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
3	चीनी ताइपेई	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
4	यू ए ई	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	25-35

ज. क्षति का समग्र आकलन

105. उपर्युक्त के आधार पर अनंतिम रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं :

- क. संबद्ध आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- ख. आयात कीमतों में तीव्र गिरावट आई है। पी ओ आई में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। यद्यपि कीमत कटौती थोड़ी सी नकारात्मक है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने पर विवश होता पड़ा है। घरेलू उद्योग भारत में उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है।
- ग. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत बिक्री लागत से भी काफी कम करनी पड़ी। इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।
- घ. यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में कमी आई है।
- ड. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की उसकी क्षमता पर विचार करते हुए काफी अधिक हो सकता है।
- च. उत्पाद को घाटे में बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास काफी माल सूची बची हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है और उसे जांच अवधि में वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

106. प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों के अलावा ऐसे अन्य ज्ञात कारकों के साथ-साथ जांच करना अपेक्षित है, जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हों ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। ऐसे कारक, जो इस संबंध में संगत हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर

न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी, अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

107. संबद्ध देशों और चीन, कोरिया तथा जापान से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक है। चीन, कोरिया और जापान के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है। इस प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अन्य / शेष देशों, जिनका कुल आयात में केवल 2.15 प्रतिशत हिस्सा है, से क्षति हो सकती है।

ख. मांग में संकुचन

108. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों की आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों से आयातों ने संपूर्ण क्षति अवधि में पर्याप्त बाजार हिस्से को कब्जा लिया है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान मामूली गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घट गई हैं। अतः घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट के लिए संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि उत्तरदायी हो सकती है और न कि मांग में मामूली गिरावट। अतः मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं हो सकता है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में बदलाव

109. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में किसी ज्ञात वास्तविक बदलाव से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

110. किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अतः व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

111. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी ज्ञात या वास्तविक बदलाव संबंधी जानकारी प्राधिकारी को नहीं दी गई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अतः प्रौद्योगिकी में विकास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च. घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

112. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से घटती आयात कीमतों के कारण वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ था और इसलिए उसने माल सूची बढ़ने से रोकने के लिए निर्यातों पर भरोसा किया। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि यह तथ्य कि पी ओ आई के दौरान लागत से कम कीमत पर निर्यात किए गए अपने आप में पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के प्रभाव को दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की निर्यातक कीमतें उस कीमत से काफी कम है जिसका घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करता है जो संकटग्रस्त बिक्री के दावे को सिद्ध करता है। यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए अलग-अलग आंकड़े पर भरोसा किया है ताकि घरेलू उद्योग की क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उनकी मात्रा देखी जा सके। तथापि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को काफी कम और अलाभकारी कीमतों पर निर्यात करना पड़ा। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दर्शाता है। निर्यात बिक्रियों पर लाभ में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग की घरेलू लाभप्रदता प्रभावित नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है।

छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

113. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उन्हें अपनाया है। अतः आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

114. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। यह देखा गया है कि प्रति दिन उत्पादकता में पी ओ आई सहित क्षति अवधि में निरंतर और पर्याप्त सुधार हुआ है। अतः घरेलू उद्योग के उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।
115. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी का अनंतिम निष्कर्ष है कि सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति नहीं हुई है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के अलावा ऐसा कोई अन्य कारण प्रतीत नहीं होता, जिससे घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता हो।

झ. क्षति कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

116. प्राधिकारी का अनंतिम रूप से निष्कर्ष निम्नानुसार है :

- क. संबद्ध देशों संबद्ध वस्तु का आयात भारत में अपने संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश कर रहा है। परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है।
- ख. पाटित आयातों में जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- ग. पी ओ आई के दौरान आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई थी। इसके अलावा संबद्ध वस्तु के आयात ऐसी कीमतों पर आ रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम है जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बिक्री लागत से भी कम करनी पड़ी है। इस प्रकार संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।
- घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है और परिणामस्वरूप सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- ड. घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण मांग को पूरा करने की क्षमता है। वह अप्रयुक्त क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा है।
- च. पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और सकारात्मक है।
- छ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने पूरे उत्पादन को बेचने में असमर्थ है। घरेलू उद्योग को पी ओ आई के दौरान ऐसी कीमत पर संकटग्रस्त निर्यात बिक्री करनी पड़ी है जो उसकी बिक्री लागत और घरेलू कीमत से काफी कम है। मजबूरन निर्यात बिक्रियों के बावजूद घरेलू उद्योग के पास काफी माल सूची इकट्ठी हो गई है।
- ज. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में इस हद तक कीमत दमन के परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में तेजी से गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि में वित्तीय घाटे, नकद घाटे और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय झेलनी पड़ी है।

ञ. निष्कर्ष और सिफारिशें

117. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-

- क. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद भारत में पाटित कीमतों पर निर्यातित किया गया है।
- ख. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

घ. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन आयातों के कारण हुई है।

118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना /आंकड़ों के अनुसार तथा पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध की प्रारंभिक जांच करने पर प्राधिकारी का यह विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और परिणामी क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए अनंतिम शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
119. नियमावली के नियम 4 (घ) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में जो कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु जैसा कि इस खोज के पैरा 9 में परिभाषित किया गया है, विषय देशों से उत्पन्न या निर्यात किया गया है के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में यथा उल्लिखित के राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।
120. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्कों के अलावा सीमा शुल्क का प्रयोज्य स्तर शामिल होगा।

शुल्क सारणी

क्र. सं.	शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29291020	"टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 में हो".	ई यू	ई यू सहित कोई देश	कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी	221.04	एमटी	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	ई यू	ई यू सहित कोई देश	बोरसोडकेमजेडआरटी	102.05	एमटी	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	ई यू	ई यू सहित कोई देश	उक्त क्र.सं. 1 और 2 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई उत्पादक	265.03	एमटी	यूएस डॉलर
4	-वही-	-वही-	उन देशों जिन पर शुल्क लागू है, से इतर कोई अन्य देश	ई यू	कोई	265.03	एमटी	यूएस डॉलर
5	-वही-	-वही-	सउदी अरब	सउदी अरब सहित कोई देश	सादरा केमिकल कंपनी	275.01	एमटी	यूएस डॉलर
6	-वही-	-वही-	सउदी अरब	सउदी अरब सहित कोई देश	उक्त क्र.सं. 5 में दिए गए उत्पादकों से इतर कोई उत्पादक	361.76	एमटी	यूएस डॉलर

7	-वही-	-वही-	उन देशों जिन पर शुल्क लागू है, से इतर कोई अन्य देश	सउदी अरब	कोई	361.76	एमटी	यूएस डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई सहित कोई देश	कोई	323.25	एमटी	यूएस डॉलर
9	-वही-	-वही-	उन देशों जिन पर शुल्क लागू है, से इतर कोई अन्य देश	चीनी ताइपेई	कोई	323.25	एमटी	यूएस डॉलर
10	-वही-	-वही-	यू ए ई	यू ए ई सहित कोई देश	कोई	405.97	एमटी	यूएस डॉलर
11	-वही-	-वही-	उन देशों जिन पर शुल्क लागू है, से इतर कोई अन्य देश	यू ए ई	कोई	405.97	एमटी	यूएस डॉलर

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

ट. आगे की प्रक्रिया

121. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने से पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:-

- क. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत पाए जाने पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- ख. घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो इससे संबंधित हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अलग लिखा जा रहा है, जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों को प्रकाशित करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं।
- ग. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकता है।
- घ. प्राधिकारी नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे ताकि सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संगत उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणाम में जांच की जाएगी।
- ड. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- च. प्राधिकारी आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन करेंगे।
- छ. प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पूर्व नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

बि. बि. स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 4th September, 2020

Case No. ADD (O.I.) 34/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning the imports of Toluene Di- Isocyanate from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates.

F. No. 6/43/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority in accordance with Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the “Act”) as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning the imports of Toluene Di-Isocyanate (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or the “subject goods”) from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. O.I. 34/2019 - DGTR dated 31st January 2020 in the Gazette of India Extraordinary initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of subject countries/territories in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 31st January 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
 - e. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - f. The Authority sent exporter’s questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. M/s Sadara Chemical Company.
 - ii. M/s BASF SE.

- iii. M/s BASF Schwarzheide GmbH.
- iv. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, EU
- v. M/s BorsodChem Zrt, Hungary, EU
- vi. M/s Nan Ya Plastics, Chinese Taipei.
- vii. M/s Polychem Company, Chinese Taipei.
- g. In response to the above notification, following exporters/ producers have submitted exporter questionnaire responses:
 - i. M/s BorsodChem Zrt., Hungary, EU
 - ii. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, EU
 - iii. M/s Covestro (Hong Kong) Limited
 - iv. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia
 - v. M/s Dow Chemical International Pvt. Ltd. (Dubai Branch).
 - vi. M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V., Netherland
 - vii. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore
- h. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
 - i. M/s Sheela Foam Limited
 - ii. M/s Tirupati Foam Limited
 - iii. M/s Kurlon Limited
 - iv. M/s Springwell Mattresses Private Limited
 - v. M/s Sunrise Foam Product Private Limited
 - vi. M/s M H Polymers Private Limited
 - vii. M/s Pyarelal Foam (South) Private Limited
 - viii. M/s Jindal Petro Foam Private Limited
 - ix. M/s Allied Foam Private Limited
 - x. M/s Fancy Foam Private Limited
 - xi. M/s Hindustan Poly Foams Private Limited
 - xii. M/s Shree Malani Foams Private Limited
 - xiii. M/s Prime Comforts Product Private Limited
 - xiv. M/s Aadi Polymers Private Limited.
 - xv. M/s Springfeel Polyurethanes Foams Private Limited
 - xvi. Indian Polyurethane Association.
- i. In response to the above notification, following importers/users have submitted the questionnaire responses:
 - i. M/s Covestro (India) Private Limited
 - ii. M/s Dow Chemical International Private Limited
 - iii. M/s Wanhua International India Private Limited
 - iv. M/s Sheela Foam Limited
- j. Additionally, The Government of the Kingdom of Saudi Arabia has filed submissions.

- k. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension to the interested parties. The first extension was granted upto 27th March 2020, and then upto 10th April 2020 and thereafter a final extension upto 21st April 2020.
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of an e-file through e-mail for the interested parties.
- m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. The information/ data submitted by the Applicant has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of preliminary findings.
- p. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2019 to 30th September 2019 (6 months). The injury examination period has however been considered as the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the period of investigation.
- q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.
- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- t. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 70.73.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration was defined at the time of initiation of the investigation was: -

“The product under consideration in the present investigation is “Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula CH₃C₆H₃(NCO)₂. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

The product is classified under the Chapter Heading 29 under the code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

C.1. Submissions made by the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry in regard to the product under consideration are as follows: -
 - i. The product under consideration is Toluene di-isocyanate or also called TDI which is an organic compound having formulae $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. The present investigation is restricted to TDI having isomer content in the ratio of 80:20.
 - ii. The product under consideration is used in Flexible Polyurethane foam, Mattresses, Pillows & Quilts etc.
 - iii. The product is imported under the customs heading 2929 10 20 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - iv. There is no difference in the product produced by the Applicant and imported from the subject countries.

C.2 Submissions made by other interested parties

6. No submissions have been made by any other interested party with regard to the scope of product under consideration.

C.3 Examination by Authority

7. The submissions made by the Domestic Industry with regard to PUC related issues are examined and addressed hereunder.
8. The product under consideration in the present investigation is Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20. The scope of product under consideration in the present investigation is restricted to TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and all other grades are beyond the scope of product under consideration. The product under consideration is used in Flexible Polyurethane foam, Mattresses, Pillows & Quilts etc.
9. The Authority has considered the PUC as under:-

“The product under consideration in the present investigation is “Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.
10. The product under consideration is classified under the Chapter Heading 29 under the HS code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
11. It is seen from the information on record that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry and PUC imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The end product has comparable specifications and is used interchangeably. It is further noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1. Submissions made by the domestic industry**

12. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- The Applicant is the only producer of the subject goods in India
 - The Applicant has not imported the subject goods from subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer of subject goods in India.
 - The Applicant satisfies the requirement of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the rules.

D.2. Submissions made by other interested parties

13. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

15. It is noted that the application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. There is no other producer of the subject goods in India. The Applicant has not imported the subject goods from subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. Accordingly, the Authority determines that the Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and the application meets the requirements of ‘standing’ under Rule 5(3).

E. MISCLEANOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions made by the domestic industry**

16. The present petition was filed on 27th December 2019. It would be seen that there was no dumping of the product till January 2019. Therefore, the period of investigation could not have started prior to March 2019. As far as the period October - December 2019 is concerned, the same could not have been added for the reason that the petition was filed on 27th December, 2019 and the financial results for that period were declared only on 11th February, 2020. Thus, the applicant has chosen a right period for the present purposes.
17. The interested parties have assumed that annualised data implies that the applicants have extrapolated the data for the subsequent period. The applicants have not extrapolated any data for subsequent period. On the contrary, applicants have simply considered the data for period of investigation and in order to compare the data with previous periods of different duration, it has been considered appropriate to bring the data of the period of investigation in the same platform before comparison. It is only for the above purpose, the applicants have “annualised” the figures for the period of investigation and then compared the same with the figures of previous years.
18. Wherever data on annualised basis could be different from six months data, the applicant has annualised the data. As regards reference to Article 3 of Anti-Dumping Agreement, the fact that one period is of twelve months duration and other period is of six months duration does not in itself imply that an analysis of the data over the period is inappropriate. While analysing the data, due regard must be given to the fact that the data for two periods are not for same length and the same must be appropriately factored while drawing conclusion on whether the parameter deteriorated or improved.
19. Thus, it only implies that analysis is required to consider the fact of different duration of two periods. The applicant for the sake of convenience has adopted an approach wherein the applicant has annualized the data and then done the comparison. Even if data is not annualised and considered as it

is, while comparing it with preceding years, the authority will have to give due regard to the fact that the length of two periods are different and therefore the figures cannot be directly compared.

20. The petitioner has no captive sales in the period of investigation and even earlier it was extremely negligible. Therefore, the information with regard to captive sales quantity, value and realization is inconsequential to the present case.
21. The details of normal value disclosed in the non-confidential version of the petition is sufficient as per DGTR practice. Moreover, the applicant has claimed no expense on R&D account relating to the product under consideration and has not made any purchase of the product under consideration, hence the information has not been provided. It would, thus, be seen that the applicant has provided all such information as is relevant to the present case.
22. The anti-dumping duties which were levied in June 2017 were only interim duties. The definitive duties were imposed in January, 2018. In any case, whether June 2017 or January 2018 is considered as the relevant date for duty, the argument in the petition remains the same.

E.2 Submissions made by other interested parties

23. The other miscellaneous submissions made by the other interested parties are as follows:
 - i. DGTR has not provided any justification for adopting a 6-month period of investigation, which it was required to provide as per the Manual of Operating Practice.
 - ii. In order to examine most of the factors for injury the Applicant has used annualized data for period of investigation without providing any justification.
 - iii. Applicant has switched between “POI” and “POI-A” in examining different factors of injury in the petition which does not provide an objective examination and sufficient basis for analysis as required by Article 3.1(iv) of the agreement.
 - iv. There is inconsistency in comparison of 6 months period of investigation with other periods of 12 months which does not comply with obligation to conduct objective examination.
 - v. Inconsistent method in identification of period of investigation has led to DGTR failing in the examination of accuracy and adequacy of the petition pursuant to Article 5.3 of the agreement.
 - vi. Applicant has provided actual imports for 6 months and estimated volume of imports for 6 months to introduce annualized period of investigation without providing any justification. The Appellate Body in India-Iron and Steel Products (Safeguard) also held the methodology adopted by the Indian authority of annualizing data to make them comparable with those of previous years warrants an explanation.
 - vii. Normal value, captive sales quantity, captive sales value, captive sales realization, R&D expenses, funds raised, purchase quantity of PUC and NIP calculations have not been provided as per Trade notice no. 10/2018 dated 7th September, 2018 and no justification has been provided. This violates the Articles 5.2, 6.2, 6.5.1, and 6.8 of agreement
 - viii. The petitioner has provided inaccurate and misleading information about the levy of ADD on the imports from China PR, Korea RP, and Japan. The duties were levied with effect from 5th June 2017 as against January 2018 stated in the petition.

E.3 Examination by the Authority

24. Regarding the submission of other interested parties on the selection of period of investigation of 6 months, the Authority notes that the adoption of 6 months as period of investigation is not inconsistent with the Rules. The domestic industry substantiated the need for considering April 2019 to Sept 2019 (6 months) as the period of investigation (POI). The Authority accepted the same, being satisfied with the reasons given by the domestic industry. The Authority considers that 6 months POI in the present case is appropriate as the decline in import prices from subject countries is steep in April-Sept, 19. The petition in the present case was filed on 27th December, 2019 and therefore data for the period after Sept., 2019 was not available at the stage of initiation.
25. The purpose of an antidumping investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the domestic industry. Thus, the Authority

notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority. It is further noted that the Rules have been amended vide Customs Notification no. 9/2020- customs dated 2nd February 2020 wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted, incorporating the following provisions:

“The POI shall: -

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”

26. It is noted that the above amendment has been carried out after the initiation of the present investigation. Nevertheless, the Authority had duly considered the justification provided by the Applicant for selection of April 2019 to Sept 2019 (6 months) as POI, as mentioned above.
27. In regard to the contention that the domestic industry has annualized the data for the purpose of injury examination and has switched between POI and POI-A for examination, it is seen that the data has been annualized to bring it to same level in order to compare it with previous period of 1 year duration. Further, it is seen that the Applicant has annualized the data only in cases where annualized basis could be different from six months data. The methodology followed by the Applicant is in accordance with the practice followed by the Authority.
28. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
 - i. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
 - (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
 - (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*
 - ii. As regards the contentions regarding confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.
29. It is noted that the preliminary anti-dumping duties were imposed on the imports of subject goods from China PR, Korea RP and Japan on 5th June 2017 and final duties were imposed on 23rd January 2018.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**F.1 Submissions made by Domestic industry**

30. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. Exports from Germany and Hungary to other EU countries reflect the domestic selling price for the producers in EU and hence can be considered for the purpose of normal value.
- ii. Dow Chemical International Private Limited is a company affiliated to Sadara Chemical Company, the sole producer of TDI in Saudi Arabia. Therefore, the price at which the company has exported is unreliable due to association of compensatory arrangements. The export price should therefore be constructed considering the price at which the goods have been imported into India and the resale price offered for sale of the product in India. The dumping margin for all the four countries is positive and significant.

F.2 Submissions made by other interested parties

31. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. The Applicant has determined normal value by constructing it leading to artificial high value. The approach is inconsistent with Article 5.2 of the agreement.
- ii. The Applicant could have claimed normal value using Saudi's exports to third countries, like it did in case of European Union.

F.3 Examination by the Authority

32. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

F.4 Determination of Normal value and Export Price for Subject countries

33. The Authority notes that the following producers of the subject goods have filed exporter's questionnaire response: -

- i. M/s BorsodChem Zrt, Hungary, European Union
- ii. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, European Union
- iii. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia.

F.4.1 European Union**M/s. Covestro Deutschland AG**

34. M/s. Covestro Deutschland AG ("Covestro Germany"), is a stock corporation company registered and established under German Company Laws. It is noted from the Exporter's Questionnaire response that Covestro Germany has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its related parties, namely, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy) and Covestro, S.L (Spain). It is also noted that Covestro

Germany has exported the subject goods to India through its related trading company, M/s. Covestro (Hong Kong) Limited (“Covestro HK”). Covestro HK has sold the subject goods to unrelated Indian Customers, and also to a related importer, M/s. Covestro India Pvt. Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. Covestro Germany, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy), Covestro, S.L (Spain), Covestro HK and Covestro India Pvt. Ltd have provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

Normal Value

35. M/s. Covestro Deutschland AG (“Covestro Germany”) has submitted Exporter’s Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, Covestro Germany has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its related parties, namely, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy) and Covestro, S.L (Spain). Covestro Germany has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market to related parties and details of resale price of these related parties to independent customers. It is noted from the response that during the POI, Covestro Germany, has sold *** MT of subject goods having an invoice value of Euros *** in the domestic market directly to unrelated customers and also to its related parties. The cost of sales claimed by Covestro Germany has been provisionally accepted for the purpose of preliminary findings subject to detailed verification. On the basis of cost of sales claimed, the Authority has carried out ordinary course of trade (“OCT”) test, which indicates that more than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, all domestic sales have been considered for determination of normal value.
36. Covestro Germany has claimed adjustments on account of freight, insurance and credit cost. The Authority has provisionally allowed the adjustments as claimed subject to verification, and determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

37. During the POI, Covestro Germany has exported the subject goods to India through a related trader, namely, M/s. Covestro (Hong Kong) Limited (“Covestro HK”). It is noted from the response that during the POI, Covestro Germany has exported *** MT of subject goods to India having an invoice value of Euros *** through Covestro HK. Covestro HK has sold the subject goods to unrelated Indian Customers and also to a related importer, M/s. Covestro India Pvt. Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. The Authority has examined the sale price of Covestro HK to independent customers and notes that the sale price of Covestro HK covers all the expenses incurred by Covestro HK. For the exports made to M/s. Covestro India Pvt. Ltd, the Authority has provisionally examined the export price on the basis of price at which the imported subject goods were first resold to an independent buyer. It is noted from the response filed by the related Indian importer that it has earned sufficient amount of profits on resale of the imported subject goods during the POI.
38. Covestro Germany has claimed adjustments on account of freight, insurance and credit cost and the same have been provisionally allowed by the Authority subject to verification. Accordingly, the ex-factory export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Borsod Chem Zrt

39. M/s BorsodChem Zrt, Hungary is a private limited company limited by shares. It is a limited liability company established under Hungarian law. The company has filed Exporter’s Questionnaire response. It is noted from the response that M/s BorsodChem Zrt has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its subsidiary M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy. It is also noted that M/s BorsodChem Zrt has exported the subject goods to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. M/s BorsodChem Zrt, M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy and M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd have provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

Normal Value

40. M/s BorsodChem Zrt has submitted Exporter's Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, M/s BorsodChem Zrt, has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its subsidiary, M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy. M/s BorsodChem Zrt has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market its related party and details of resale price of the related party to independent customers. The cost of sales claimed by M/s BorsodChem Zrt has been provisionally accepted for the purpose of preliminary findings subject to verification. On the basis of cost of sales claimed, the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test, which indicates that more than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, all domestic sales have been considered for determination of normal value. It is noted from the response that during the POI, M/s BorsodChem Zrt, has sold *** MT of subject goods at an average invoice price of Euro *** per MT in the domestic market directly to unrelated customers and also to its subsidiary M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L.
41. M/s BorsodChem Zrt has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, packing cost and other related expenses. The Authority has provisionally allowed the adjustments as claimed and determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

42. During the POI, M/s BorsodChem Zrt has exported the subject goods to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd, which has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. M/s BorsodChem Zrt and M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd have provided the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, M/s BorsodChem Zrt, has exported *** MT of subject goods at an average invoice price of Euro *** per MT to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd.
43. It is noted from the response filed by the related Indian importer that it has earned sufficient amount of profits on resale of the imported subject goods during the POI. M/s BorsodChem Zrt has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, and insurance, credit cost and packing expenses and the same have been provisionally allowed by the Authority subject to verification. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below.

Normal value for all other non-cooperating producers/exporters in EU

44. The normal values for all other non-cooperating producers and exporters of European Union has been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in EU

45. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Saudi Arabia

46. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from Saudi Arabia have responded by filing questionnaire response:-
- M/s Sadara Chemical Company, Kingdom of Saudi Arabia (Producer)
 - M/s. Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. (Exporter)
 - M/s. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (Exporter)
 - Dow Chemical International Private Limited, Dubai Branch (Exporter)

47. In addition to the Sadara and Dow trading entities, related importer of subject goods in India namely Dow Chemical International Private Limited ('DCIPL') has also filed the importer's questionnaire response.
48. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of various producers/exporters of the subject country as follows:-

Sadara Chemical Company ("Sadara"), Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. ('Dow Marketing'), Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited ('Dow Singapore'), Dow Chemical International Private Limited – Dubai Branch ('DCIPL- Dubai Branch')

49. It is noted Sadara is the producer of subject goods from Saudi Arabia engaged in domestic sales of subject goods as well as exports to India through related entities namely Dow Marketing, Dow Singapore and DCIPL Dubai Branch. Sadara is a limited liability company existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia having a commercial registration number (***). The head office of the company is located at Eastern Province at Jubail, Kingdom of Saudi Arabia.

Normal value

50. The subject goods produced by Sadara are first sold to Dow Marketing, and Dow Marketing invoices the subject goods to Dow Singapore and DCIPL Dubai Branch. Dow Singapore is the trader of subject goods and they have sold the subject goods to DCIPL (related entity in India) as well as directly to unrelated entities/importers. DCIPL Dubai Branch has sold the subject goods directly to unrelated Indian importers.
51. Based on the response filed by Sadara, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. The cost of sales claimed by M/s Sadara has been provisionally accepted for the purpose of preliminary findings subject to verification. On the basis of cost of sales claimed, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. Upon examination, the Authority noted that all sales of subject goods in domestic markets during the POI are at loss. Therefore, the Authority constructed the normal value based on cost of production, SGA and profit, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

52. It is noted from exports to India, M/s Sadara sells the entire quantity of the subject goods to Dow Marketing. For exports to India, Dow Marketing raises invoice on Dow Singapore for resale to unrelated and related Indian importers. Similarly, Dow Marketing has sold subject goods to unrelated importers through DCIPL Dubai Branch. On an overall basis, *** MT of subject goods is sold to unrelated importers and *** MT of the subject goods is exported to DCIPL (related importer). All these related parties have also filed questionnaire responses.
53. During the POI, Dow Singapore has sold *** MT of subject goods to DCIPL (Indian importer) and *** MT of subject goods to unrelated importer. DCIPL Dubai Branch has sold *** MT of subject goods to unrelated Indian importers.
54. It is noted from the response filed by above mentioned subsidiaries that together, they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. M/s Sadara through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price and net export price. Further for arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of freight, credit cost and other post factory expenses from the invoice price of the producer (Sadara). Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

Normal value for all other non-cooperating producers/exporters in Saudi Arabia

55. The normal value for all other non-cooperating producer of Saudi Arabia has been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating producer and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in Saudi Arabia

56. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

Chinese Taipei**Normal value for all producers/exporters in Chinese Taipei**

57. None of the producers/exporters from Chinese Taipei have responded, therefore, normal value has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. In view of absence of publicly available information with regard to selling price of the product in the domestic market in Chinese Taipei, normal value in respect for Chinese Taipei producers has been provisionally determined by constructing cost of production for the Chinese Taipei producers, as per best estimates, duly adjusted with regard to SGA and profit. Based on this, the dumping margin is indicated in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in Chinese Taipei

58. The export price for all producers and exporters has been determined as per facts available after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

UAE**Normal value for all producers/exporters in UAE**

59. None of the producers/exporters from UAE have responded, therefore, normal value has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.. In view of absence of publicly available information with regard to selling price of the product in the domestic market in UAE, normal value in respect of UAE producers has been provisionally determined by constructing cost of production for the UAE producers, as per best estimates, duly adjusted with regard to SGA and profit. Based on this, the dumping margin is indicated in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in UAE

60. The export price for all producers and exporters has been determined as per facts available after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

F.6 Dumping margin

61. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been provisionally determined as follows:

Dumping Margin

Sl. No.	Producer	Normal value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	Range
A	European Union					
1	BorsodChem Zrt	***	***	***	***	0-10
2	Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	10-20
3	Any other producer	***	***	***	***	20-30
B	Saudi Arabia					
1	Sadara Chemical Company	***	***	***	***	10-20
2	Any other producer	***	***	***	***	20-30
C	Chinese Taipei					
1	All producers/exporters	***	***	***	***	10-20
D	United Arab Emirates					
1	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**G.1 Submissions made by the Domestic Industry**

62. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i. Since the conditions of Annexure II (iii) are satisfied, the Authority may consider undertaking cumulative assessment of the imports from the subject countries.
 - ii. The imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to gross imports, production and consumption over the injury period.
 - iii. The prices of imports from subject countries have declined steeply in the period of investigation.
 - iv. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting in case of Saudi Arabia should be determined after considering the price adjustment, as the related Indian importer has imported from related Saudi exporter at high price and has suffered financial losses while selling to the unrelated independent buyer.
 - v. The fall in prices of subject goods have led to fall in prices of domestic industry. Thus, the imports are depressing the prices of domestic industry.
 - vi. The production of the domestic industry has increased over the injury period however, there are significant idle capacities with the domestic industry.
 - vii. While the production has increased, the domestic industry has been forced to export as the domestic sales have reduced.
 - viii. The profitability of the domestic industry has been severely impacted. The industry made significant profits in 2017-18 and thereafter the profits have significantly reduced to an extent that the domestic industry is now suffering losses in the period of investigation.
 - ix. The cash profits and the return on capital employed of the domestic industry have turned negative in the period of investigation.
 - x. The market share of the domestic industry is still below the level which it could have achieved. Dumping from subject countries has prevented it from increasing its market share.
 - xi. The average inventory with the domestic industry has increased significantly in the period of investigation.
 - xii. The imports from subject countries have increased by more than 300 times over the injury period.
 - xiii. There are significant capacities in the subject countries.
 - xiv. The imports from the subject countries have a depressing effect on the domestic prices and would likely to increase demand for more imports.
 - xv. The fall in the prices of subject imports is higher than the fall in prices of Toluene.
 - xvi. The sales volumes of the domestic industry increased between 2016-17 and 2018-19 with imposition of anti-dumping duty. Sales volumes of the domestic industry however fell once again in the period of investigation because of dumping in the country. In a situation where inventories with the domestic industry are rising and sales volumes are falling, a possible fact that export volumes of the petitioner have declined is of little consequence. In any case, export volume of the petitioner has increased over the period. In fact, in period of investigation as compared to preceding year, whereas export volumes increased by 70%, the domestic sales fell by 7%. Since exports of the domestic industry have increased, it is factually without any basis to contend that increase in inventory is attributed to fall in exports.

- xvii. The fact that the Authority has in none of its previous findings on the subject goods allowed adjustment owing to time lag, does not imply that there is no merit in the argument raised by the domestic industry. As far as the disadvantageous position of importer is concerned, it is for the importer to contend and not for the exporter to argue. At the same time, it is indicative of possible fact that imported product has been sold at a loss. If so, the petitioner requests the authority to kindly adopt constructed export price for the purpose of determining dumping margin and injury margin in the present case. The price at which material has been sold becomes unreliable because of the fact that the related importer has resold the product at a loss. These prices are no longer in the ordinary course of trade.

G.2 Submissions made by other interested parties

63. The submissions made by the interested parties with regard to injury are as follows:

- i. The Format IV-I shows a very slight decrease in the imports from countries attracting duty in the year 2017-18 as compared to 2016-17. Therefore, the claim of domestic industry that it could not increase its sales because of subject country imports during 2017-18 is not found correct.
- ii. Despite the anti-dumping duties imposed which lead to increase in the prices, the domestic industry's sales could not substantially increase to replace the market share of those imports.
- iii. The single producer in Saudi Arabia started production in 2017 and hence the quantities from Saudi will increase year by year and therefore comparison of imports with year 2016-17 or 2017-18 is not proper.
- iv. The import prices into India have fallen from all the sources and not only from the subject countries. The petitioner should have adjusted its prices to the fall in prices globally as done by all the countries. Further, prices of imports from other countries is lower than prices of imports from Saudi Arabia.
- v. Contrary to the claimed price suppression, the prices of the subject goods reduced drastically around the globe which is the underlying cause of injury.
- vi. The petitioner was making huge profits in the year 2017-18 when the prices of subject goods were highest globally and as the prices decreased globally, the petitioner made losses. This also shows absence of causal link between petitioner's losses and prices of targeted countries.
- vii. The Authority in none of its previous findings on subject goods allowed adjustment owing to time lag. Further, the time lag puts the importer in disadvantageous position when the applicants has reduced prices due to reduction in cost.
- viii. As against the claims of the petitioner, the production and sales have shown an increase whereas the exports have reduced by 12%. The increase in inventory by 544% is also attributable to fall in exports and not due to increasing imports
- ix. The petitioner's losses are attributable to the global prices of subject goods and Toluene as the petitioner had insufficient reaction to the change.
- x. The production and capacity utilization have shown an improvement. There is no justification to demonstrate "sufficient unutilized capacities".
- xi. The petitioner had the largest market share which has increased through-out the period. The share is more than double to that of subject country imports.
- xii. The other known factors that may have caused injury to the domestic industry such as the global subject goods market behavior, global prices decline of subject goods, imports from sources other than subject countries., Applicant's behavior and reaction in response to subject goods global developments and effect of Indian law on employment, wages, and productivity

G.3 Examination by the Authority

64. The Authority has taken note of various submissions made by the interested parties including domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment

65. Article 3 of WTO agreement and Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
66. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
67. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates on the domestic industry.
68. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is essential to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

G.4.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

69. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the applicant being the single producer in India and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
2	Subject countries-Imports	MT	49	1,190	7,235	8,248	16,496
3	Countries attracting ADD-Imports	MT	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
4	Other countries-Imports	MT	288	1,473	1,346	333	665
5	Total demand/Consumption	MT	***	***	***	***	***

70. It is seen that the demand for the product under consideration has increased consistently over the first three years of the injury period with a marginal decline in the period of investigation, as compared to the immediately preceding period. On the whole, the demand has increased during the injury period.

71. The domestic sales of the applicant have increased consistently over the first three years of the injury period with a marginal decline in the period of investigation, as compared to the immediately preceding period, whereas imports from subject countries have increased significantly over the injury period.

b. Import Volumes from the subject countries

72. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed as follows:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Imports from subject Countries	MT	49	1,190	7,235	8,248	16,496
a	Saudi Arabia	MT	-	240	2,660	2,348	4,696
b	UAE	MT	9	860	3,168	2,460	4,920
c	European Union	MT	-	90	685	1,680	3,360
d	Chinese Taipei	MT	40	-	722	1,760	3,520
2	Imports from countries attracting ADD	MT	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
3	Import from Other Countries	MT	288	1,473	1,346	333	665
4	Total imports	MT	32,905	33,147	32,619	15,442	30,883
Subject countries' import in relation to							
5	Total imports	%	0.15%	3.59%	22.18%	53.41%	53.41%
6	Production	%	0.10%	2.00%	11.82%	22.32%	22.32%
7	Demand	%	0.08%	1.77%	9.84%	23.90%	23.90%

73. **It is seen that: -**

- The volume of imports from subject countries have increased consistently and significantly in absolute term over the injury period and more sharply in the period of investigation as compared to the increases in previous years.
- The imports from subject countries have increased consistently and significantly over the injury period in relation to total imports in India, demand in India and production in India.

G.5.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

74. With regard to the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined through price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price Undercutting

75. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from each of the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	105	67	67
Subject Countries as a Whole						
Landed Price	₹/MT	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
Trend	Indexed	100	148	131	76	76
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	(118)	(8)	(8)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
Saudi Arabia						
Landed Price	₹/MT	-	2,94,889	2,28,515	1,54,893	1,54,893
Trend	Indexed	-	100	77	53	53
Price undercutting	₹/MT	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	131	132	132
Price undercutting	%	-	***	***	***	***
Price undercutting	Range	-	(0-10)%	(5-15)%	(10-20)%	(10-20)%
UAE						
Landed Price	₹/MT	2,15,495	2,54,276	2,33,833	1,28,473	1,28,473
Trend	Indexed	100	118	109	60	60
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(122)	145	(20)	(20)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
European Union						
Landed Price	₹/MT	0	2,20,780	2,50,611	1,11,096	1,11,096
Trend	Indexed	-	100	114	50	50
Price undercutting	₹/MT	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	(78)	37	37
Price undercutting	%	-	***	***	***	***

Price undercutting	Range	-	20-30%	(10-20)%	15-25%	15-25%
Chinese Taipei						
Landed Price	₹/MT	1,66,934	-	2,00,408	1,35,108	1,35,108
Trend	Indexed	100	-	120	81	81
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	19	(10)	(10)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	15-25%		0-10%	(0-10)%	(0-10)%

76. The imports from the subject countries have increased sharply in the period of investigation with a steep fall in the prices. Consequently, the domestic industry has been forced to reduce its prices with the decline in landed price. While the price undercutting is marginally negative during the POI on an average basis, it is seen that there is a steep decline in the prices. The domestic industry further contended that in case of Saudi Arabia, being a purchase by an affiliated party in India, the import prices are unduly high and therefore, the price for the Saudi producer/ exporter should be constructed. The issue has been examined. The Authority further notes that the price undercutting is negative from Saudi Arabia due to the fact that exporters from Saudi Arabia export the subject goods to India at a high price and their related party resells the subject goods at a loss to the independent buyer in India. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of Saudi Arabia exporters in the Indian market.

b. Price Suppression and Depression

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualized
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	101	89	89
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	105	67	67
3	Landed Value of subject countries as a whole	₹/MT	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
	Trend	Indexed	100	148	131	76	76

78. It is seen that while the landed price of imports from subject countries has been above the cost of sales in the period prior to the period of investigation, it has fallen below the cost of sales in the period of investigation. Further, both the cost of sales and the selling price of the domestic industry have declined during the POI as compared to 2016-17. However, the decline in domestic selling price is more than the decrease in cost of sales as the domestic industry has been forced to reduce prices due to a larger reduction in landed price of imports than the reduction in the selling price of the domestic industry. The imports of the product under consideration were thus depressing the prices of the domestic industry in the domestic market.

c. Price Underselling

79. The non-injurious price (NIP) of the product under consideration the Domestic Industry, as determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation and based on the principles mentioned in Annexure III of the Rules, has been compared

with the landed value of the subject goods from subject countries to arrive at the extent of Price Underselling. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive Price Underselling effect:

Sl. No.	Particulars	UOM	Saudi Arabia	UAE	EU	Chinese Taipei
1	Non Injurious Price	₹/MT	***	***	***	***
2	Landed Price	₹/MT	1,54,893	1,28,473	1,11,096	1,35,108
3	Price Underselling	₹/MT	***	***	***	***
4	Price Underselling	%	***	***	***	***
5	Price Underselling	Range	0-10%	30-40%	50-60%	20-30%

G.6.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

80. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sale

81. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Capacity	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	100	100	100
2	Production	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	127	131	158	158
3	Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	127	131	158	158
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	128	153	142	142
5	Export Sales	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	112	88	75	149

82. It is seen that-

- The capacity of the domestic industry has remained constant over the injury period and is more than the demand in India.
- The production and capacity utilization increased over the injury period. However, the domestic industry is still left with idle capacity despite having a demand in India.
- The domestic sales of the industry increased up to 2018-19 but have marginally declined in the period of investigation.

b. Market Share

83. Market share of the domestic industry over the injury period is shown in table below:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Domestic Industry	%	44.85%	50.81%	55.65%	55.25%	55.25%
	Trend	Indexed	100	113	124	123	123
2	Subject countries-Imports	%	0.08%	1.76%	9.83%	23.89%	23.89%
	Trend	Indexed	100	2150	11978	29105	29105
3	Countries attracting ADD-Imports	%	54.57%	45.23%	32.67%	19.88%	19.88%
	Trend	Indexed	100	83	60	36	36
4	Other countries-Imports	%	0.48%	2.18%	1.82%	0.96%	0.96%
	Trend	Indexed	100	454	380	200	200

84. It is seen that the anti-dumping duties were levied against the imports from China PR, Japan and Korea RP in 2017 as a result of which the market share of the domestic industry increased till 2018-19. With the increasing imports from the subject countries, the market share of domestic industry has marginally declined in the POI. On the other hand, the share of subject countries in demand increased significantly during the injury period from 0% in 2016-17 to 24% during the POI.

c. Profitability, return on investment and cash profits

85. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	87	101	89	89
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	105	67	67
3	Profit/(Loss) before tax	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	371	121	(24)	(24)
4	Profit/(Loss) before tax	Rs Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	474	185	(34)	(34)
5	Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	420	184	(7)	(7)
6	Profit before interest	Rs Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	323	119	(22)	(22)
7	Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	278	87	(20)	(20)

86. It is seen that-

- a. The profit per unit of the domestic industry increased in the year 2017-18 with the imposition of the anti-dumping duties against the imports of other countries.
- b. The subsequent year 2018-19 saw a sharp fall in the profits of the domestic industry as the prices of the domestic industry fell sharply due to the sharp increase in imports from the subject countries at lower prices. The domestic industry faced a sharp fall in prices, in spite of increase in the cost. Resultantly, the cash profits and the return on investment declined.
- c. In the period of investigation, the landed price of the imports from subject countries has fallen below the cost of sales the domestic industry. As a result, the domestic industry has been forced to sell at a price which could not even cover its cost. Resultantly, the domestic industry has suffered financial losses. Consequently, the domestic industry has recorded cash losses and a negative return on investment.

d. Employment, Wages and Productivity

87. Employment, wages, and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	98	102	101	101
2	Wages	Rs Lacs	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	114	159	155	155
3	Wages per unit	₹/MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	90	121	98	98
4	Productivity	MT/day	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	127	131	158	158

88. It is seen that number of employees and salary & wages of the domestic industry have increased over the injury period with marginal decline in POI as compared to the immediately preceding period. The productivity per day has also improved during POI.

e. Inventories

89. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Sl. No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
						Actual	Annualised
1	Opening Stock	MT	***	***	***	***	***
2	Closing Stock	MT	***	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	110	309	544	544

90. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period. The production of the domestic industry increased; but it has not been able to sell in the market.

f. Growth

91. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

Sl. No.	Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
1	Production	Y/Y	27%	3%	21%	21%
2	Capacity Utilization	Y/Y	27%	3%	21%	21%
3	Domestic Sales Volume	Y/Y	28%	20%	-7%	-7%
4	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	271%	-67%	-120%	-120%
5	Average Inventory	Y/Y	10%	181%	76%	76%
6	Market Share	Y/Y	13%	10%	-1%	-1%
7	Profit/(Loss) before tax	Y/Y	374%	-61%	-118%	-118%
8	Cash Profit	Y/Y	320%	-56%	-104%	-104%
9	PBIT	Y/Y	223%	-63%	-118%	-118%
10	ROI	Y/Y	178%	-69%	-123%	-123%

92. It is seen that the growth of the domestic industry in terms of production and capacity utilization was positive whereas growth in domestic sales volume, market share, inventories, profits, cash profits and return on investment was adverse and/or negative in the POI.

g. Ability to Raise Capital Investment

93. The domestic industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected the ability to raise capital investment. However, it is seen that the domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the concerned product alone.

h. Factors affecting domestic prices

94. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. It is noted that the landed prices of the subject goods from subject countries are below non-injurious price of the domestic industry. Further the landed prices of subject imports have depressed the prices of the domestic industry leading to financial losses to it. The imports of subject goods from third countries not attracting ADD are negligible in volumes and not injuring to the domestic industry. Demand for the product under consideration is sufficient in the country and the domestic industry has enough capacity to meet the demand in the country and cannot be the reason of caused injury to the domestic industry. In view thereof, it can be provisionally concluded that the principal factor impacting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.
95. With regard to the claim that there is only a very slight decline in the imports from other countries and no substantial increase in the domestic sales after the duties were imposed, it is noted that the purpose of the anti-dumping duty is not to restrict the entry of imports but to correct the unfair practice of dumping and bring the prices to a fair level. However, it is seen that the imports from the countries attracting ADD have declined sharply in absolute terms as well as in relation to production and consumption after the imposition of ADD. Further, it is also noted that the sales volume of the domestic industry had in fact increased post the imposition in 2017 of the duties against China, Korea RP and Japan and have declined only in the period of investigation with the increase in imports from subject countries.
96. It has been claimed that the imports from Saudi Arabia have increased as the producer started production in 2017. It is noted that the imports from Saudi Arabia are above the de-minimis limits in POI as prescribed under para (iii) of Annexure II of the Rules. Therefore, the effect of the imports is to be cumulatively assessed by the Authority.
97. It is further seen that the landed price of imports from the subject countries is much below the landed price of imports from other countries after adding the imposed ADD, wherever applicable. Therefore, the contention raised by the interested parties that the import prices into India have reduced from all the sources and not only from subject countries is factually incorrect. Further as

regards the prices of Saudi Arabia alone is concerned, the landed prices of Saudi Arabia are lower than the prices of other countries attracting ADD if the high prices through affiliated entities of Saudi Arabia and India are adjusted adequately.

98. With regard to the claim of the interested parties that the domestic industry was earlier making profits and is now suffering losses shows absence of causal link, it is noted that the import prices have actually declined in the period of investigation which has depressed the prices of the domestic industry. The domestic industry was earning profits in the earlier years and because of price depression has gone down into losses.
99. With regard to the issue of adjustment owing to time lag, the Authority as a matter of consistent practice has not allowed any adjustment for such time lag in the import prices.
100. As against the claim that production and sales have increased and exports have declined which has led to increase in the inventories, it is noted that the domestic sales of the applicant have declined and the export sales at unremunerative prices have increased in the period of investigation.
101. With regard to the claim that the applicant's loss is attributable to the global prices of the subject goods, it has been noted that the fall in the import price has forced the domestic industry to reduce its prices. The domestic industry has been unable to align its prices adequately to the movements in prices of raw materials because of low priced imports from the subject countries which have resulted in losses. Therefore, the claimed injury is attributable to the imports from subject countries in India.
102. In regard to the claim that the applicant has the highest market share, it is noted that the market share of the domestic industry has increased only by 9% in POI as compared to 2017-18, whereas the share of the subject countries imports has increased by 1253% in POI as compared to 2017-18. It is also noted that the domestic industry has the capacity to cater 100% of the demand of the subject goods in India but currently has only 55% share and operating with idle capacities.

i. Injury margin for cooperative producers/exporters

103. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been worked out and it has been compared with the landed price (LP) from each of the subject countries for calculating injury margin (IM). In line with the determination of dumping margins, the injury margin has also been determined for the related companies together taking them as one entity.
104. As mentioned in the dumping margin analysis in this Findings, it is noted from the response filed by producer from Saudi Arabia and their related Indian subsidiary that they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent companies through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their cost to the importer which included import prices and SGA of the Indian subsidiary, suitable adjustment has been made from their landed price.

Sl. No.	Country	Producer	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
			(US\$/MT)	(US\$/MT)	(US\$/MT)	(%)	(Range)
1	European Union	M/s BorsodChem Zrt	***	***	***	***	30-40
		M/s Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	30-40
		All Other producers/exporters	***	***	***	***	30-40
2	Saudi Arabia	M/s. Sadara Chemical Company	***	***	***	***	20-30
		All Other producers/exporters	***	***	***	***	20-30
3	Chinese Taipei	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30
4	UAE	All producers/exporters	***	***	***	***	25-35

j. Overall Assessment of Injury

105. On the basis of the above, the following conclusions have been made provisionally:

- a. The subject imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- b. There is a steep decline in the import prices. The landed prices of the subject imports are below the cost of sales of the domestic industry in the POI. While price undercutting is marginally negative, the domestic industry has been forced to reduce prices due to decline in landed price of imports. The domestic industry is the sole producer of the product in India.
- c. The imports from the subject countries have forced the domestic industry to reduce its prices much below the cost of sales. Thus, the imports have had an effect of price depression on the domestic industry.
- d. While the production and capacity utilization of the domestic industry have increased, the domestic sales of the domestic industry have declined.
- e. The market share of the domestic industry could have been much higher considering that it has the capacity to cater the entire demand in India.
- f. Despite selling the product at losses, the domestic industry is left with significant inventories.
- g. Profitability of the domestic industry has declined significantly and it has suffered financial losses in the period of investigation. Further, the domestic industry is facing cash losses and negative return on investment in the period of investigation.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

106. The Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the above said factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

107. Imports from the subject countries and China, Korea and Japan are above de-minimis limit. The imports from China, Korea RP and Japan are already attracting anti-dumping duty. Thus, it cannot be said that imports from other/ remaining countries accounting for merely 2.15% of the total imports are causing injury.

b. Contraction in Demand

108. It is seen that the demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the period of investigation as compared to the immediately preceding year. However, the volume of imports from the subject countries has increased significantly in the period of investigation as compared to the base year as well as the immediately preceding year. As a result of this, the imports from the subject countries have taken up substantial market share throughout the injury period whereas that of the domestic industry has declined slightly during the POI as compared to the immediately preceding year, as the domestic sales of the domestic industry have reduced in the period of investigation as compared to the immediately preceding year. Therefore, the decrease in the domestic sales of the domestic industry may be attributed to the increase in the imports from the subject countries and not to a minor fall in demand. Therefore, the decline in demand cannot be the reason of causing injury to the domestic industry.

c. Changes in the pattern of consumption

109. No interested party has produced any evidence relating to any known material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

110. No interested party has produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Hence, trade restrictive practices have not caused injury to the domestic industry.

e. Development in technology

111. No evidence has been brought before to the Authority by any interested party concerning any known and material changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of domestic industry

112. The domestic industry has claimed that it was unable to sell its production in the market due to the falling import prices from the subject countries and therefore it had to rely on exports to prevent inventory pile up. It has been further claimed by the domestic industry that the fact that the exports were made at prices lower than cost during the POI is in itself a reflection of the effects of injury being caused due to the dumped imports. The Authority notes that the export sales of the domestic industry have increased substantially over the injury period. However, it is noted that the export prices of the domestic industry are much below the prices at which the domestic industry has sold in the domestic market which substantiates its claim of distress sale. While the Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be, for the purpose of injury analysis of the domestic industry, the fact that the domestic industry was forced to export at significantly low and unremunerative prices is a reflection of the injury caused to the domestic industry due to the dumped imports. Possible decline in profits on export sales could not have caused impact on the domestic profitability of the domestic industry, as the Authority has considered injury data for the domestic operations separately for the injury analysis.

g. Performance of other products of domestic industry

113. The domestic industry has provided the data for the product under consideration performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

h. Productivity of the domestic industry

114. The domestic industry has provided the data relating to their productivity. It is seen that the productivity per day has consistently and significantly improved over the injury period including the POI. Therefore, productivity of the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.
115. On the basis of above, the Authority provisionally concludes that the listed known factors have not caused claimed injury to the domestic industry and there seems to be no other reason besides the dumped imports from subject countries which could have impacted the performance of the domestic industry.

I. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

116. The Authority provisionally concludes as under:

- a. Imports of the subject goods from subject countries are entering India at a price lower than its associated normal value, resulting in dumping.
- b. Dumped imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption during the injury period including the period of investigation.
- c. There was rapid decline in the import prices during the POI. Further, imports of the subject goods are entering at prices much below the cost of sales of the domestic industry which has forced the domestic industry to reduce its prices even below its cost of sales. The subject imports are thus depressing the prices of the domestic industry.

- d. The landed price of the imports is lower than the non-injurious price of the domestic industry and is resulting in positive price underselling.
- e. The domestic industry has sufficient capacity to meet the entire demand and it is operating with idle capacities.
- f. Dumping margin is above de-minimis and positive.
- g. Because of the increasing dumped imports from the subject countries, the domestic industry has not been able to sell its entire production in the domestic market. The domestic industry has been instead forced to make distress export sales during the POI at prices much below its cost of sales and its domestic prices. Despite making forced export sales, the domestic industry has piled up significant inventories.
- h. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed as a result of price depression, to such an extent that the domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

J. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

117. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes the following.
- a. The product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices.
 - b. There is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to its production and consumption in India, during the period of investigation as compared to the previous year.
 - c. The domestic industry has suffered material injury.
 - d. Material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.
118. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. After conducting the preliminary investigation into dumping, injury and causal link as per the information/data submitted by the interested parties and in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is necessary to offset dumping and consequent injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
119. In terms of provision contained in Rule 4(d) of the Rules, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, provisional anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods, as defined in para 9 of this finding, originating in or exported from subject countries.
120. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29291020*	“Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20”.	EU	Any Country including EU	Covestro Deutschland AG	221.04	MT	US\$
2	-do-	-do-	EU	Any Country including EU	BorsodChem Zrt	102.05	MT	US\$
3	-do-	-do-	EU	Any Country including EU	Any other producer other than S.Nos. 1 & 2 above	265.03	MT	US\$
4	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	EU	Any	265.03	MT	US\$
5	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	275.01	MT	US\$
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Any other producer other than S.No. 5 above	361.76	MT	US\$
7	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	Saudi Arabia	Any	361.76	MT	US\$
8	-do-	-do-	Chinese Taipei	Any Country including Chinese Taipei	Any	323.25	MT	US\$
9	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	Chinese Taipei	Any	323.25	MT	US\$
10	-do-	-do-	UAE	Any Country including UAE	Any	405.97	MT	US\$
11	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	UAE	Any	405.97	MT	US\$

*The customs classification is only indicative.

K. FURTHER PROCEDURE

121. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- Domestic industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within thirty days from the date of the publication of these preliminary findings.

- c. Any other interested party may also make known its views within thirty days from the date of publication of these findings.
- d. The Authority would conduct oral hearing in terms of rule 6(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- e. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- f. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- g. The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority